Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी धर्मेन्द्र को हुआ 02 वर्ष 03 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा।

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में **अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम लोहड्डा थाना बड़ौत जनपद बागपत** के विरूद्व थाना बड़ौत पर **मु0अ0सं0- 1032/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम** पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16.11.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा **अभियुक्त धर्मेन्द्र को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में 02 वर्ष 03 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है। अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरुद्ध जनपद बागपत में आबकारी अधिनियम, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर आदि के संगीन धाराओं में एक दर्जन के करीब अभियोग पंजीकृत हैं।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice Baghpat police baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर दिनाँक 16.11.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्तों को रुकवाया गया, अभियुक्त नहीं रुके तथा अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया । थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 02 अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अमित पुत्र सुनील निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-आदित्य कुमार पुत्र सुनील कुमार निवासी ग्राम ललियाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 249/2021 धारा 380/411/457भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 255/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त आदित्य का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 83/2021 धारा 392/411/506 थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 84/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 171/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0श्री राजेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर राजपूत थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

4-है0का0 289 सतेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

5-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

6-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत।